

**THE MAHARAJA GANGA SINGH
UNIVERSITY ACT, 2003**
(Act No. 13 of 2003)

**महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2003**
(2003 का अधिनियम संख्यांक 13)



(Received the assent of the Governor on the 30th day of May, 2003)
An Act to establish and incorporate a University at Bikaner
in the State of Rajasthan

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मई, 2003 को प्राप्त हुई)
राजस्थान राज्य में बीकानेर में विश्वविद्यालय
स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।



RAJBIL/2000/1717
J.P.C./3588/02/2003-05

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

ज्येष्ठ 17, शनिवार, शाके 1925—जून 7, 2003

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

Jyaistha 17, Saturday, Saka 1925-June 7, 2003

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2003

संख्या प.2(11) विधि/2/2003 :- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल की निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मई, 2003 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम संख्यांक 13)

राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मई, 2003 को प्राप्त हुई

राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (क),

ज्येष्ठ 17 शनिवार, शाके 1925 जून 7, 2003 में प्रकाशित हुआ।

राजस्थान राज्य में बीकानेर में विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये अधिनियम।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-

- (1) इस अधिनियम का नाम ¹[महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम], 2003 है।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.-

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की धारा 21 के अधीन यथा-गठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;
- (ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस रूप में घोषित किया जाये;
- (घ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का धारा 19 के अधीन गठित प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (च) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;
- (छ) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत है;

¹ बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 02.10.2008 से प्रभावी)
(2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है) 3.

- (अ) "विश्वविद्यालय का छात्र" से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ट) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से ²[महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर] अभिप्रेत है;
- (ड) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय का निगमन.—

- (1) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किए रहते हैं, ³[महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर] के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
- (2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा: परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अंतरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

² बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 02.10.2008 से प्रभावी)

³ बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 02.10.2008 से प्रभावी)

(2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है)

- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

4. अधिकारिता.—

- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 10), महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के रहते हुए, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित, राजस्थान राज्य के बीकानेर खण्ड के भीतर के समस्त घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में और राजस्थान राज्य के भीतर के ऐसे अन्य घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किये जायें।

- (2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,—

- (क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

- (ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से संबद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय की संबद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाए, अपवर्जित कर सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी समझे जायेंगे।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—

विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा:—

- (i) विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करना; और
- (ii) विद्या की समस्त शाखाओं में अनुसंधान को अग्रसर करना।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.—

विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा किन्तु इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय से, किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में या विहित से कम शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं वाले छात्रों को प्रवेश देने की अपेक्षा की गयी है।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां.—

विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) विद्या की ऐसी विभिन्न शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना;
- (ख) (1) अनुसंधान, और (2) ज्ञान के अभिवर्धन और अनुसंधान और ज्ञान के निष्कर्षों के प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित और प्रदान करना;
- (घ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या किन्हीं भी विशेषाधिकारों को वापस लेना;
- (च) किसी महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और स्वायत्तता वापस लेना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालय और प्राधिकारियों के साथ, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करें;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना;
- (झ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ञ) अध्येतावृत्तियां (जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था करना और उसे संधारित करना;
- (ठ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना, जो विहित किये जायें;

- (ड) छात्रों के लिए निवास-स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबन्ध करना; और
- (ढ) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

8. ⁴[निरीक्षण.—

- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दें,—
 - (क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या
 - (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या
 - (ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या
 - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

- (2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निर्देश दें, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।
- (3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।
- (4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली

⁴ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 07.06.2013 से प्रभावी)
(2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है) 8.

- कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिये समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।
- (5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।
- (6) यदि विश्वविद्यालय, नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देश का पालन करेगा।
- (7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निर्देश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निर्देश का क्रियान्वयन कराने के लिये किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिये आवश्यक हो।]

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.—

विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी :—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) नियंत्रक;
- (v) संपदा अधिकारी;
- (vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी :-

- (i) प्रबन्ध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) संकाय;
- (iv) अध्ययन बोर्ड; और
- (v) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

10. कुलाधिपति.-

- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और उपस्थित रहने पर, उसके दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (2) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें।

11. ⁵[कुलपति.-

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- ⁶[(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हों।]
- (3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा –
 - (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
 - (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

⁵ महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 14) (दिनांक 05.05.2017 से प्रभावी) एवं पूर्व में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 07.06.2013 से प्रभावी)।

⁶ विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 18.08.2019 से प्रभावी)

- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।
- (6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।
- (7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या ⁷[सत्तर वर्ष] की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:
परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- (8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जाये। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

⁷ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 14) (दिनांक 05.05.2017 से प्रभावी) से पूर्व महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 24) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था (दिनांक 30.04.2012 से प्रभावी) (2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है)

- (9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।
- (10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो, तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।
- (11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।
- (12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

- (16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा :-
- (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और
- (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी;
- परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।
- (17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।
- (18) कुलपति को, जहां तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये: परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता: परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें

असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

⁸[11क. कुलपति का हटाया जाना.—

- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।]

⁸ विश्वविद्यालयों की विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 16.08.2019 से प्रभावी)
(2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है) 14.

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.—

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
- (2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिये प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।
- (4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।
- (5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।
- (6) किसी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता।
- (7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।
- (8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

- (9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें।

13. कुल-सचिव.-

- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।
- (2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (3) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा। वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जायें।
- (4) कुल-सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें या जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

14. नियंत्रक.-

- (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा। वे कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।
- (2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

- (3) नियंत्रक –
- (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिये उत्तरदायी होगा;
 - (ii) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों, और विनिधानों का प्रबन्ध करेगा;
 - (iii) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा;
 - (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;
 - (v) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और
 - (vi) धारा 34 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.—

- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:—
 - (i) सम्पदा अधिकारी, और
 - (ii) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।
- (2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।
- (3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:—
 - (क) छात्रों के आवासन का प्रबन्ध करना,
 - (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिये कार्यक्रम निदिष्ट करना,

- (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना,
- (घ) छात्रों के पाठ्येतर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना,
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना, और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

16. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.—

- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।
- (2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।
- (3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.—

धारा 9 के खण्ड (क) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.—

विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिये, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

19. प्रबन्ध बोर्ड का गठन और संरचना.—

- (1) प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
 - (I) विश्वविद्यालय का कुलपति—अध्यक्ष के रूप में;
 - (II) पदेन सदस्य :—
 - (i) शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान;
 - (ii) शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(iii) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान; और

(iv) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव;

स्पष्टीकरण.— (i) से (ii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिनी भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) नामनिर्देशित सदस्य :-

(i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

(ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिये नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा ;

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और

(vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(IV) निर्वाचित सदस्य :-

विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून अनुभव हो।

- (2) बोर्ड की बैठक में, उपस्थित एक तिहाई सदस्यों से बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
- (3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।
- (4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।
- (5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

20. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.—

बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

- (क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना ;
- (ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निर्देश जारी करना ;
- (ग) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबन्ध करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना ;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये ;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और प्रयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत उन्नयन के लिये धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिये उपयुक्त व्यवस्था करना ;
- (ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;

- (ट) विश्वविद्यालया के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना ; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों को प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहण करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

21. विद्या परिषद्.—

- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
 - (क) कुलपति—पदेन अध्यक्ष;
 - (ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;
 - (ग) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
 - (घ) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक;
 - (ङ) शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
 - (च) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;
 - (छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
 - (ज) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
 - (झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

- (ज) घटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
 - (ट) संबद्ध महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो ; और
 - (ठ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।
- (2) नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

22. विद्या परिषद् के कृत्य.-

- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की भारसाधक होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुदेश, शिक्षा तथा परीक्षाओं के स्तर बनाये रखने पर उपाधियां तथा डिप्लोमे में प्रदान करने की अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखेगी और उसके लिये उत्तरदायी होगी।
- (2) विद्या परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और समस्त शैक्षणिक मामलों में कुलपति को परामर्श देगी।

23. संकायों की संरचना और कृत्य.-

- (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-
 - (क) संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष,
 - (ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य,
 - (ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष,

- (घ) संबद्ध महाविद्यालयों से संकाय के प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष,
- (ङ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।
- (3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- 24. अध्ययन बोर्ड.—**
- (1) इतने अध्ययन बोर्ड होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।
- (2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।
- 25. विश्वविद्यालय का अध्यापन.—**
- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।
- (2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।
- (3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों और तदधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विहित किया जाये।
- 26. स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान किया जाना.—**
- (1) विश्वविद्यालय द्वारा, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय विभाग को छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षा करवाने के मामलों में स्वायत्त प्रास्थिति और उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी।
- (2) बोर्ड, ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग में शिक्षा के स्तर के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तियों, जो उपयुक्त समझे जायें, से मिलकर बनी किसी स्थायी समिति से विहित रीति से जांच करवाने का निर्देश दे सकेगा।

- (3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद् की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर, बोर्ड, समाधान हो जाने पर, मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये निर्दिष्ट करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय, ऐसी सहमति की प्राप्ति पर, महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करेगा।
- (5) स्वायत्त प्रास्थिति, इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के पुनर्विलोकन के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष के लिए प्रदान की जा सकेगी। समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात् :—
 - (क) विश्वविद्यालय का एक नामनिर्देशिनी;
 - (ख) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिनी;
 - (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिनी;
 - (घ) स्वायत्त महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य, और
 - (ङ) विश्वविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला कोई अधिकारी।
- (6) समिति, अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
- (7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग पर साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग करना और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधि प्रदान करना जारी रखेगा।
- (8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग, शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के समुचित प्रबन्ध के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करेगा जो विहित की जायें।
- (9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचनाएं देंगे जिनकी बोर्ड समय-समय पर अपेक्षा करें।
- (10) बोर्ड, प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा।

27. स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना.—

- (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान किये जाने की किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है या उसकी दक्षता का इतना क्षय हो गया है कि शिक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किये जाने के पूर्व बोर्ड एक मास के लिखित नोटिस द्वारा, महाविद्यालय, संस्था या विभाग से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
- (3) नोटिस के प्रत्युत्तर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति पर, बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।
- (4) राज्य सरकार, ऐसी और जांच, यदि कोई हों, के पश्चात्, जो उचित समझी जाये, मामले पर अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपने विनिश्चय से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय उस पर ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझे।
- (5) जहां स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग की दशा में, धारा 26 के अधीन प्रदत्त स्वायत्त प्रास्थिति उप-धारा (4) के अधीन किये गये आदेश द्वारा वापस ले ली जाती है वहां ऐसे महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग की स्वायत्त प्रास्थिति आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से समाप्त हो जायेगी।

28. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.—

- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर

नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का

हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिये, निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

29. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.—

विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होंगी।

30. सेवानिवृत्ति की आयु.—

परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

31. पेंशन या भविष्य निधि.—

(1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

32. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.—

(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

- (2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किए जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

33. विश्वविद्यालय निधि.—

- (1) विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय निधि' के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।
- (2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात् :—
- (क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;
- (ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों,
- (घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (3) ऐसे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।
- (5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

34. राज्य सरकार का नियंत्रण.—

जहां राज्य सरकार की निधियां अंतर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात् :—

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण,
- (ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना;
- (छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी निश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.— पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

35. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.—

- ⁹[(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निर्देश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।]

¹⁰[(2)] यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निर्देश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

36. परिनियम.—

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिये उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जाएगा :—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (च) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;

¹⁰ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा पुनः संख्यांकित (दिनांक 07.08.2012 से प्रभावी) (2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है) 30.

- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी उपलब्धियां, और उनकी सेवाओं और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिये इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबन्ध किया जा सकेगा, या जो विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

37. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.—

- (1) परिनियम प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।
- (2) प्रबन्ध बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।
- (3) प्रबन्ध बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।
- (4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे प्रबन्ध बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।
- (5) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी जाये।

- (6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकेगा और यदि प्रबन्ध बोर्ड ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

38. ऑर्डिनेन्स.—

इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऑर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य स्थान या निवास स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबन्धित मामले;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण;
- (ङ) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो।

39. ऑर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.—

- (1) प्रबन्ध बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से ऑर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।
- (2) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबन्धित कोई भी ऑर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

- (3) प्रबन्ध बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबन्ध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगा।
- (4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त ऑर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक ऑर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाधिपति को ऑर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का प्रबन्ध बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में प्रबन्ध बोर्ड को सूचित करेगा। वह, प्रबन्ध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो ऑर्डिनेन्स को निलम्बित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या ऑर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा।

40. विनियम.-

- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और ऑर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा:-
 - (क) अपनी बैठकों में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;
 - (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या ऑर्डिनेन्सों के द्वारा, उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
 - (ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबन्धित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या ऑर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध करते हुए विनियम बनायेगा।
- (3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निर्देश दे सकेगा।
- 41. छात्रों का निवास—स्थान.—**
छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपबन्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास—सुविधा में विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निवास करेंगे।
- 42. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—**
बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, प्रयोग में लाये जाने के लिये परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 43. वार्षिक रिपोर्ट.—**
विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा—अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान—मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
- 44. लेखे और संपरीक्षा.—**
(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निर्देश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

- ¹¹[(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा]
- ¹²[(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे ओर बजट बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिये रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।]
- ¹³[(4)] ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा विहित रीति से की जायेगी जिनका राज्य सरकार निर्देश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।
- ¹⁴[(5)] संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति और बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- ¹⁵[(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।]

45. अस्थायी व्यवस्था.—

- (1) इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, कर सकेगा।

¹¹ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा अंतः स्थापित (दिनांक 07.06.2012 से प्रभावी)
¹² महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा अंतः स्थापित (दिनांक 07.06.2012 से प्रभावी)
¹³ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा पुनः संख्यांकित (दिनांक 07.06.2012 से प्रभावी)
¹⁴ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा पुनः संख्यांकित (दिनांक 07.06.2012 से प्रभावी)
¹⁵ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28) द्वारा जोड़ी गई (दिनांक 07.06.2012 से प्रभावी)
(2019 का अधिनियम संख्यांक 17 तक अद्यतन किया गया है) 35.

46. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.—

जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

47. संपत्तियों और जनशक्ति का अन्तरण.—

तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के अन्तरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जायें :—

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक,
- (ख) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी भी अधिकार या हित,
- (ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अंशदान, दान, सहायता या हिताधिकार।

48. अंतःकालीन उपबंध.—

- (1) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 38) के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम, ऑर्डिनेन्स और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों, ऑर्डिनेन्सों या परिनियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है।

- (2) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 38) के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये समस्त नोटिस और आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन तत्समान प्राधिकारी द्वारा बनाये हुए या जारी किये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है।

49. अवशिष्ट उपबंध.—

बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबन्धित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।

50. कठिनाइयों का निराकरण.—

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिये राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा —

(क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहें उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या

(ख) ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिये आवश्यक प्रतीत हों;

(ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई आदेश नहीं किये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- (3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या ऑर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबन्ध में या इस संबन्ध में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

जी. एस. होरा,
शासन सचिव।